



INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh

ACC Stamp Purchase Class  
ACC CHES-4010111  
Account No. ACC  
Date of Issue: 23/06/2024

e-Stamp 5572



Certificate No.  
 Certificate Issued Date  
 Account Reference  
 Unique Doc. Reference  
 Purchased by  
 Description of Document  
 Property Description  
 Consideration Price (Rs)  
 First Party  
 Second Party  
 Stamp Duty Paid By  
 Stamp Duty Amount(%)

₹1,600




₹1,600,1,600,1,600,1,600

INUPNC0680060068V  
 29-Jun-2024 00:00 PM  
 NILAY ACC CHES 1135004 AMETHI UP ART  
 5572  
 DEWASH COLLEGE SURYA RAMNAGAR AMETHI BY ANJALI  
 DEWASH COLLEGE SURYA RAMNAGAR AMETHI BY ANJALI  
 DEWASH COLLEGE SURYA RAMNAGAR AMETHI BY ANJALI  
 DEWASH COLLEGE SURYA RAMNAGAR AMETHI BY ANJALI  
 DEWASH COLLEGE SURYA RAMNAGAR AMETHI BY ANJALI  
 DEWASH COLLEGE SURYA RAMNAGAR AMETHI BY ANJALI  
 DEWASH COLLEGE SURYA RAMNAGAR AMETHI BY ANJALI  
 DEWASH COLLEGE SURYA RAMNAGAR AMETHI BY ANJALI  
 DEWASH COLLEGE SURYA RAMNAGAR AMETHI BY ANJALI  
 DEWASH COLLEGE SURYA RAMNAGAR AMETHI BY ANJALI

सत्यमेव जयते

₹1,600



INUPNC0680060068V

Handwritten signatures in black ink.



LOCKED BY  
S. R.

ID 0040650680



Disclaimer:

1. The responsibility of the stamp certificate purchaser with respect to the purchase of the stamp certificate and the payment of the stamp duty is on the purchaser and not on the Government of India.
2. The stamp certificate purchaser is advised to check the details of the stamp certificate and the payment of the stamp duty before the purchase of the stamp certificate.
3. The stamp certificate purchaser is advised to check the details of the stamp certificate and the payment of the stamp duty before the purchase of the stamp certificate.





(लैज डीड) किरायानामा

अवधि-30 वर्ष

मासिक किराया-1,000/-

औसत वार्षिक किराया-12,000/-

मासिक-72,000/-

स्टाम्प-1800/-

प्रथम पक्ष/भूनिस्वामी

1. स्पर्श महाविद्यालय, सकरा रामनगर, अमेठी द्वारा संस्थापक प्रबन्धक ईश्वरी कुमार द्विवेदी सुत चदयमान द्विवेदी, निवासी-बी. 5/68, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, सखनऊ-228010, मो-9839233333

द्वितीय पक्ष/किरायेदार

2. स्पर्श कालेज, सकरा रामनगर, अमेठी, द्वारा प्रबन्धक अन्वजी कुमार द्विवेदी सुत चदयमान द्विवेदी, निवासी-निरालामगर, सुलतानपुर सिटी, तहसील सदर सुलतानपुर जिला सुलतानपुर-228001, मो-9415158412

ईश्वरी कुमार द्विवेदी



अन्वजी कुमार द्विवेदी



बीहददी

पुरुष : भूमि हीरालाल प्रसाद

परिवार : भूमि बाबूलाल

संस्कार : लीमा ग्राम गैरिकपुर

दक्षिण : भूमि भारत सिंह

जो कि इन व्यक्तियों आपस में खूब सोच विचार करके बिना किसी को भय आथवा दबाव के अपनी पूर्ण स्खामन्दी की दशा में स्वेच्छापूर्वक शुद्ध मन व बुद्धि की दशा में पूर्ण होकर स्वयं की निजिगी में निम्नलिखित किरागीनामा की बाबत सचपत सहरीर करसे ई-

1. यह कि प्रथम पक्ष अपनी ग्राम सफुट रामनगर, सहरील अनेठी जिला अनेठी में स्थित गाटा स०-३५अ रकबा ०.४१३०हे० व ३५ब रकबा ०.७५१०हे० कुल दो गाटा का कुल रकबा १.१६४०हे० का पूर्ण मालिक स्वामी कायिज दाखिल है। म्यादात्मक उपजिलाधिकारी अनेठी द्वारा संपरीकृत गाटा स०-३५अ रकबा ०.४१३०हे० व ३५ब रकबा ०.७५१०हे० कुल दो गाटा का कुल रकबा १.१६४०हे० भूमि बाद स०-१० धारा १४३अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक ११-०९-२००९ को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किया गया है।
2. यह कि प्रथम पक्ष अपनी उक्त भूखण्ड स०-३५अ व ३५ब कुल क्षेत्रफल १.१६४०धर्मी में भवन निर्मित है एवं वाली निवान/पील्ड एवं ६ फिट ऊंची

श्री ३५अ ३५ब

म-३५



संरक्षितता को द्वितीय पक्ष अलकनी कुमार द्विवेदी की उक्त संस्था स्वर्ण कालेज  
की मुद्रा-1000/- रुपये प्रतिमाह की दर तक विवाद अवधि के लिए किराए पर  
विद्यमान रहता है।

3. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पैदाव व उस पर निर्मित भवन को स्वर्ण कालेज  
संस्था चलाने हेतु किराए पर ले रहा है।
4. यह कि किराये की रकम का भुगतान मकदद दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति पर  
किया जाता रहेगा। साथ ही संस्था की जो समय सीमा मकदद के अनुसार तय  
है उसमें प्रथम पक्ष इस तरह से हमेशा सहमत रहेगा।
5. यह कि किरायेदारी विवाद अवधि तक किराये पर ले गयी भूमि भवन को भूमि  
स्वामी प्रथम पक्ष को भूमि व भवन को विक्रय करने या अन्य किसी के पक्ष में  
लेन या बंधन रखने का कोई हक व अधिकार कतई न होगा।
6. यह कि किरायेदारी के तहत प्रथम पक्ष या उनके कारिसानों को किरायेदारी  
विवाद अवधि तक किसी प्रकार का कोई हथकौपी न होगा।
7. यह कि विवाद के बाद यदि दोनों पक्ष मिल शर्तों पर किरायेदारी को लिए  
सहमत होंगे तो विवाद अवधि के बाद दूसरा किरायेनामा उन्हीं शर्तों के अनुसार  
निश्चयित किया जायेगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष को पूर्ण हक अधिकार है कि अपनी संस्था के कल नियमों  
के अनुसार जीता चाहे संस्था संघालित करे इसमें किसी को कोई विरोध एतराज  
नहीं होगा।

*हस्ताक्षर*

*M. S. S.*



संख्या: १०१/२०१९

राज्य प्रमुख विभाग


दिनांक: १

(दिनांक: ०१/०१/२०१९)

पृष्ठ: १०१९

विषय: राजस्व विभाग - राजस्व विभाग - राजस्व विभाग - राजस्व विभाग - राजस्व विभाग

राजस्व विभाग  
राजस्व विभाग  
राजस्व विभाग  
राजस्व विभाग



राजस्व विभाग  
राजस्व विभाग

राजस्व विभाग

राजस्व विभाग  
राजस्व विभाग  
राजस्व विभाग

राजस्व विभाग  
राजस्व विभाग  
राजस्व विभाग

१०१

9. यह कि किराया रु०-1,000/रु० (एक हजार रुपये) वार्षिक दर से वार्षिक किराया का 6 गुना मात्रागत पर रु०-20/रु० प्रति हजार कि दर से अतिरिक्त जोड़कर कुल स्टाम्प रु०-1600/रु० का स्टाम्प शुल्क उदा किया जा रहा है।
10. यह कि किरायेनामा की अवधि दिनांक 25.05.2020 से 24.04.2053 तक होगी।
11. अवधि समाप्त होने पर किरायेनामा स्वतः समाप्त माना जायेगा।
12. यह कि उपरोक्त भूमि क्षेत्र पंचायत क्षेत्र के अन्दर व अधिग्रहण क्षेत्र के बाहर स्थित है तथा ग्रामीण क्षेत्र के जिला मार्ग अमरुट से भादर रोड से जुड़ी हुई है।

### विवरण किराये पर दी गयी भूमि

जो ग्राम पंचायत सकरा रामनगर परगना अमरुटी तहसील अमरुटी जनापद अमरुटी में स्थित है। जो कि गाटा सं०-343 रकबा 0.4130हे० व 344 रकबा 0.7510हे० कुल दो गाटा का कुल रकबा 1.1640हे० अर्द्धिक/व्यवसायिक दर्ज भूमि का क्षेत्रफल सम्पूर्ण 1.1640हे० यानी 11640वर्गमी० भूमि में से 0.8095हे० यानी 8095वर्गमी० भूमि को प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किराये पर संस्था उपरोक्त बनाने हेतु किराये पर दिया जा रहा है।









பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு

04-2023

பெண் குழந்தைகளுக்கு


பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு




பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு



பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு



பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு

பெண் குழந்தைகளுக்கு



अतएव यह किरायेनामा/लीजडीड सूब सोध समझाकर स्वस्थ परिवर्तन की वषत में लिखा दिवा कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

तहदीर तारीख - 28/08/2023

सत्यदिनकर्ता-शिवम श्रीवास्तव दरसावेज, जेसक तहरील न जिला जगदी

डिवाइड प्रमाण  
27.08.2023

गवाह

1- महा सुन्दर मारक 68, 54/20/1/3/1/2/3  
दिवाइज प्रमाणकरी सोध प्रमाणकरी  
फांकेडे 3585111377



2- देसाज पण्डे 30 सालक जेसक फांकेडे  
32, मदारपुरा जगदीप फांकेडे नका  
फांकेडे 3585111375



FWD 100 KED

महाराज





आपेदन सं० 201300914000977

बही संख्या : डिप्ट संख्या : 1026 के पृष्ठ : 179 से 190 तक क्रमांक : 3572 पर दिनांक : 06/07/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रार जनरल के हस्ताक्षर



एच० सी० सिद्धार्थ

उप निबंधक - असेली

असेली

06/07/2023

